

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ख) (बी-128/89)/अलेसे-11/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री बाबू लाल सांखला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय पंचायत समिति, दातारामगढ़ (सीकर) ने विभागीय आदेश एफ.3 (ख) () अलेसे-11/17486-90 दिनांक 24.10.2013 की पालना में अपने पद के साथ-साथ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, दातारामगढ़ (सीकर) में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य दिनांक 25.10.2013 से दिनांक 05.12.2014 तक (अतिरिक्त कार्य) सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप श्री सांखला को अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत राजस्थान सेवा नियम 50 एवं 35 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य भत्ता नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है।

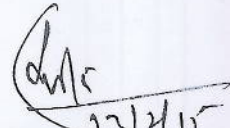

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (ख) (बी-128/89)/अलेसे-11/11276-83

दिनांक :- 13-2-15

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दातारामगढ़ (सीकर)।
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, दातारामगढ़ (सीकर)।
4. श्री बाबू लाल सांखला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, पंचायत समिति, दातारामगढ़ (सीकर)।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक, ए.सी.पी. कम्प्यूटर शाखा।
7. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


13/2/15
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)